



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06082021-228809
CG-DL-E-06082021-228809

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2935]
No. 2935]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 6, 2021/श्रावण 15, 1943
NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 6, 2021/SHRAVANA 15, 1943

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(औषध विभाग)

(राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण)

आदेश

नई दिल्ली, 6 अगस्त, 2021

का.आ. 3162(अ).—भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा जारी का. आ. 1394 (अ) तारीख 30 मई, 2013 और का. आ. 701(अ) तारीख 10 मार्च, 2016 के साथ पठित औषध (कीमत नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैरा 5, 11 और 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (जिसको संक्षिप्त रूप में एनपीपीए कहा जाता है) नीचे की सारणी के स्तंभ(6) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य को उक्त सारणी के स्तंभ(3),(4) और (5) में तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट प्रबलता, इकाई (यूनिट) और विनिर्माता और विपणन कंपनियों के नाम सहित स्तंभ(2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में से प्रत्येक की, वस्तु एवं सेवा कर, यदि कोई है, को छोड़कर अधिकतम खुदरा मूल्य के रूप में नियत करती है

सारणी

क्रं सं	विनिर्माता का नाम/ ब्रांड का नाम	प्रबलता	इकाई	विनिर्माता और विपणन कंपनी	खुदरा मूल्य (रु.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	बुडेसोनाइड रेस्प्यूल	प्रत्येक 2 मिलीलीटर रेस्प्यूल में: बुडेसोनाइड आईपी 0.5 मिलीग्राम	प्रत्येक 2 एमएल पैक	सॉफ्टडील फार्मास्युटिकल प्राइवेट लिमिटेड	17.79
2.	पैरासिटामोल + कैफीन गोली	प्रत्येक अलिपित गोली में : पैरासिटामोल आईपी 650 मिलीग्राम कैफीन आईपी 50 मिलीग्राम	1 गोली	मेसर्स माइक्रो लैब्स लिमिटेड	2.81

क्रं सं	विनिर्मिति का नाम/ ब्रांड का नाम	प्रबलता	इकाई	विनिर्माता और विपणन कंपनी	खुदरा मूल्य (रु.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.	मेटोप्रोलोल सक्सिनेट (ईआर) + सिल्लिडिपाइन + टेलिमसर्टन गोली	प्रत्येक फिल्म लिपित गोली में : मेटोप्रोलोल सक्सिनेट आई पी 23.75 मिलीग्राम मेटोप्रोलोल टार्ट्रेट आई पी 25 मिलीग्राम के बराबर, (एक्सटेंडेड रिलीज के रूप में), सिल्लिडिपाइन आई पी 10 मिलीग्राम टेलिमसर्टन आई पी 40 मिलीग्राम	1 गोली	मैसर्स प्योर एंड क्योर हेल्थकेयर प्रा. लिमिटेड / मैसर्स एलेम्बिक फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड	10.16
4.	मेटोप्रोलोल सक्सिनेट (ईआर) + सिल्लिडिपाइन + टेलिमसर्टन गोली	प्रत्येक फिल्म लिपित गोली में : मेटोप्रोलोल सक्सिनेट आई पी 47.50 मिलीग्राम मेटोप्रोलोल टार्ट्रेट 50 मिलीग्राम के बराबर, (एक्सटेंडेड रिलीज के रूप में), सिल्लिडिपाइन आई पी 10 मिलीग्राम टेलिमसर्टन आई पी 40 मिलीग्राम	1 गोली	मैसर्स प्योर एंड क्योर हेल्थकेयर प्रा. लिमिटेड / मैसर्स एलेम्बिक फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड	12.41
5.	एटोरवास्टेटिन + एज़ेटिमीब गोली	प्रत्येक फिल्म लिपित गोली में : एटोरवास्टेटिन कैल्शियम आईपी एटोरवास्टेटिन 40 मिलीग्राम के बराबर, एज़ेटिमीब आईपी 10 मिलीग्राम	1 गोली	मैसर्स साफेब लाइफ साइंसेज / मैसर्स ल्यूपिन लिमिटेड	33.14
6.	सेफिक्साइम + पोटेशियम क्लावुलनेट गोली	प्रत्येक फिल्म लिपित गोली में : सेफिक्साइम ट्राइहाइड्रेट आईपी एनहाईड्रस सेफिक्साइम 200 मिलीग्राम के बराबर, पोटेशियम क्लावुलनेट डाईलुट आईपी क्लावुलनेट ऐसिड 125 मिलीग्राम के बराबर	1 गोली	मैसर्स जेनेका हेल्थकेयर लिमिटेड / मैसर्स कैडिला फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड	21.97

नोट :

(क) उपर्युक्त दी गई विनिर्दिष्ट फॉर्मूलेशन के विनिर्माता अर्थात् जो "नई ड्रग" डीपीसीओ, 2013 के पैराग्राफ 2(यू) के तहत उपर्युक्त दी गई सारणी के स्तंभ (6) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य निर्धारित करेंगे।

(ख) अगर निर्माताओं ने उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (6) में वर्णित अधिकतम कीमत पर सरकार को वास्तव में भुगतान किया है या यह देय है तो वे वस्तु एवं सेवा कर को जोड़ सकते हैं।

(ग) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 11 में दिए गए प्रावधानों के तहत निर्माताओं को उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (6) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य के आधार पर अनुसूचित विनिर्मितियों के पैकों के लिए खुदरा मूल्य निर्धारित करें। निर्माता औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 24 के तहत फॉर्म V में अधिसूचना की तारीख से एक मूल्य सूची एनपीपीए को आईपीडीएमएस के माध्यम से जारी करें तथा उसकी कापी राज्य औषधि नियंत्रकों और विनिर्माता वितरकों को जारी करें।

(घ) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के 24 (4) के उपबंधों के अनुसार प्रत्येक फुटकर विक्रेता और वितरक विनिर्माता द्वारा दिए गए रूप में ऐसे परिसर, जहां कारबार को इस प्रकार किया जा रहा है कि उससे परामर्श के इच्छुक किसी व्यक्ति के लिए पहुंच आसान हो, वहां उसके किसी सहजदृश्य भाग पर कीमत सूची और पूरक सूची, यदि कोई हो, को संप्रदर्शित करेगा।

(ङ) उपर्युक्त गर अधिकतम कीमत (खुदरा मूल्य) केवल उपर्युक्त निर्माता/विपणन के लिए लागू है जैसा कि उन्होंने औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के तहत अनुबद्ध मूल्य निर्धारण/संशोधन के लिए फॉर्म I पर जमा किया गया था और सरकार द्वारा निर्धारित सभी लागू वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति के अधीन प्रासंगिक विधियों/नियमों के अन्तर्गत जैसा कि केन्द्रीय/राज्य लाइसेंसिंग ऑथोरिटी के सक्षम प्राधिकारी द्वारा मैन्यूफेक्चरिंग लाइसेंस मंजूरी के तहत संबंधित विनिर्मित निर्माता/विपणन कम्पनियां जो अनुपालन करती हैं।

(च) विनिर्माता या विपणन कम्पनी, उपरोक्त विनिर्मितियों और विनिर्दिष्ट शर्तों का पालन नहीं करती हैं तो वे आवश्यक वस्तुएँ अधिनियम, 1955 के साथ पठित डीपीसीओ, 2013 के प्रावधानों के अधीन ब्याज सहित अधिप्रभारित राशि को जमा करने के लिए दायी होंगे।

(छ) इस आदेश में उपरोक्त सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट विनिर्मितियों के पैकों की खुदरा मूल्य नियत होने के परिणामस्वरूप, आदेश जो कि इस आदेश से पूर्व जारी हुए है, स्वतः ही निरस्त हो जायेंगे।

[पीएन/221/91/2023/एफ/फा. सं. 8(91)/2021/डी.पी./एनपीपीए-डी.वी.-II]

प्रसेनजीत दास, उप निदेशक

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Department of Pharmaceuticals)

(NATIONAL PHARMACEUTICAL PRICING AUTHORITY)

ORDER

New Delhi, the 6th August, 2021

S.O. 3162(E).—In exercise of the powers conferred by paragraphs 5, 11 and 15 of the Drugs (Prices Control) Order, 2013, read with S.O. 1394(E) dated the 30th May, 2013 and S. O. 701(E) dated 10th March, 2016 issued by the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers, the National Pharmaceutical Pricing Authority (hereinafter referred as NPPA), hereby fixes, the price as specified in column (6) of the table herein below as the retail price, exclusive of goods and services tax, if any, in relation to the formulation specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table with the strength, unit and name of manufacturer & marketing company, as specified in the corresponding entries in columns (3), (4) and (5) thereof;

TABLE

Sl. No.	Name of the Formulation / Brand Name	Strength	Unit	Manufacturer & Marketing Company	Retail Price (Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Budesonide Respule	Each 2 ml respule contains: Budesonide IP 0.5 mg	Each 2ml Pack	Softdeal Pharmaceutical Private Limited	17.79
2.	Paracetamol + Caffeine Tablet	Each uncoated tablet contains: Paracetamol IP 650mg Caffeine IP 50mg	1 Tablet	M/s Micro Labs Limited	2.81
3.	Metoprolol Succinate (ER) + Cilnidipine + Telmisartan Tablet	Each film coated tablet contains: Metoprolol Succinate IP 23.75mg eq. to Metoprolol Tartrate 25mg, (As Extended Release), Cilnidipine IP 10mg Telmisartan IP 40mg	1 Tablet	M/s Pure & Cure Healthcare Pvt. Ltd. / M/s Alembic Pharmaceuticals Ltd.	10.16
4.	Metoprolol Succinate (ER) + Cilnidipine + Telmisartan Tablet	Each film coated tablet contains: Metoprolol Succinate IP 47.50mg eq. to Metoprolol Tartrate 50mg, (As Extended Release), Cilnidipine IP 10mg Telmisartan IP 40mg	1 Tablet	M/s Pure & Cure Healthcare Pvt. Ltd. / M/s Alembic Pharmaceuticals Ltd.	12.41
5.	Atorvastatin + Ezetimibe Tablet	Each film coated tablet contains: Atorvastatin Calcium IP eq. to Atorvastatin 40mg, Ezetimibe IP 10mg	1 Tablet	M/s Safetab Life Science / M/s Lupin Limited	33.14

Sl. No.	Name of the Formulation / Brand Name	Strength	Unit	Manufacturer & Marketing Company	Retail Price (Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6.	Cefixime + Potassium Clavulanate tablet	Each film coated tablet contains: Cefixime Trihydrate IP eq. to Anhydrous Cefixime 200mg, Potassium Clavulanate Diluted IP eq. to Clavulanate Acid 125mg	1 Tablet	M/s Zeneka Healthcare Ltd. / M/s Cadila Pharmaceuticals Limited	21.97

Note:

- The manufacturer of above mentioned formulations i.e. “new drug” under paragraph 2(u) of the DPCO, 2013 shall fix the retail price as specified in column (6) of the table hereinabove.
- The manufacturer may add goods and services tax only if they have paid actually or it is payable to the Government on the retail price mentioned in column (6) of the above said table.
- The retail price for a pack of the aforesaid formulation shall be arrived at by the concerned manufacturer in accordance with the retail price specified in column (6) of the above table as per provisions contained in paragraph 11 of the DPCO, 2013. The manufacturer shall issue a price list in Form-V from date of Notification as per paragraph 24 of the DPCO, 2013 to NPPA through IPDMS and submit a copy to State Drug Controller and dealers.
- As per para 24(4) of DPCO 2013, every retailer and dealer shall display price list and the supplementary price list, if any, as furnished by the manufacturer, on a conspicuous part of the premises where he carries on business in a manner so as to be easily accessible to any person wishing to consult the same.
- The above mentioned retail price is applicable only to the individual manufacturer / marketer as mentioned above i.e. who have applied for the same by submitting Form-I for price fixation / revision as stipulated under DPCO, 2013 and subject to fulfilment of all the applicable statutory requirements as laid down by the Govt. under relevant statutes/ rules, including manufacturing license permission from the Competent Authority i.e. the Central/State Licensing Authority, as may be applicable, by the concerned manufacturer/marketing companies.
- In case the retail price of any of the aforesaid formulations is not complied with, as per instant price notification and notes specified hereinabove, then the concerned manufacturer/marketing company shall be liable to deposit the overcharged amount along with the interest thereon under the provisions of the DPCO, 2013 read with the Essential Commodities Act, 1955.
- Consequent to the issue of ceiling price of such formulation as specified in column (2) of the above table in this notification, the price order(s) fixing ceiling or retail price, if any, issued prior to the above said date of notification, stand(s) superseded.

[PN/221/91/2023/F//F. No. 8(91)/2021/D.P./NPPA-Div.-II]

PRASENJIT DAS, Dy. Director

परिशिष्ट आदेश

नई दिल्ली, 6 अगस्त, 2021

का.आ. 3163(अ).—भारत के असाधारण, राजपत्र में प्रकाशित, दिनांक 25 मार्च 2021 का राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण का आदेश सं 1332(अ), जोकि I.V तरल पदार्थ (विशेष सुविधाओं के साथ नॉन-ग्लास) के अनुसूचित फॉर्म्युलेशन पैक्स के अधिकतम मूल्य निर्धारण से संबंधित है जिसे आदेश सं 1332(अ) दिनांक 25 मार्च 2021 के तालिका, 'बी' में क्रमशः स्तंभ संख्या (1),(2) और (3) में विनिर्दिष्ट क्र. सं, विनिर्माताओं का नाम और उत्पादों/ब्रांड का नाम शामिल करके एतद्वारा निम्नलिखित विनिर्माताओं के लिये भी बढ़ा दिया गया है, जैसा कि नीचे दिया गया है:

क्र.सं	विनिर्माताओं का नाम	उत्पाद/ब्रांड का नाम
(1)	(2)	(3)
22	मैसर्स रूसोमा लेबोरेटरीज प्रा०लिमिटेड	यूरोहेड बोटल ब्रांड नाम ड्यूड्रिप के साथ

2. दिनांक 25मार्च 2021 के का.आ. 1332(अ) की तालिका में विनिर्दिष्ट अधिकतम कीमतें इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से उपरोक्त क्र.सं. 22 में विनिर्दिष्ट विनिर्माताओं के लिए लागू हैं।

3. मूल आदेश दिनांक 25 मार्च, 2021 के का. आ. 1332(अ) में उल्लिखित सभी टिप्पणियां और अन्य विषय समान रहेंगे और लागू होंगे केवल टिप्पणी (क) और (ग) को छोड़कर, जो उपरोक्त क्र. सं. 22 में विनिर्दिष्ट विनिर्माताओं पर लागू नहीं होते हैं।

[पीएन/223/91/2021/एफ/फा. सं. 8(91)/2021/डी.पी./एनपीपीए-डी.वी.-II]

प्रसेनजीत दास, उप निदेशक

ADDENDUM ORDER

New Delhi, the 6th August, 2021

S.O. 3163(E).—The National Pharmaceutical Pricing Authority's Order No. 1332(E) dated 25th March 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, related to ceiling price fixation of scheduled formulation packs of I.V. fluids (non-Glass with special features) is hereby extended for the following manufacturer with the insertion of the Sl. No., Name of Manufacturers and Products/ Brand name, specified in column no. (1), (2) and (3) respectively in Table 'B' of S.O. No. 1332(E) dated 25.03.2021, as detailed below:

Sl. No.	Name of Manufacturer	Product/ Brand Name
(1)	(2)	(3)
22	M/s Rusoma Laboratories Pvt. Ltd.	Eurohead Bottles with Brand name "Dewdrip"

2. The ceiling prices specified in Table A of S.O. 1332(E) dated 25th March 2021 are applicable to the manufacturer specified in Sl. No. 22 above from the date of publication of this Order.

3. All the notes and other contents mentioned in the original order S.O. 1332(E) dated 25th March, 2021 shall remain same and are applicable except that notes (a) and (c) are not applicable to the manufacturers specified in Sl. No. 22 above.

[PN/223/91/2021/F/F. No. 8(91)/2021/D.P./NPPA-Div.-II]

PRASENJIT DAS, Dy. Director

आदेश

नई दिल्ली, 6 अगस्त, 2021

का.आ. 3164(अ).—भारत के असाधारण, राजपत्र में प्रकाशित, दिनांक 25 मार्च 2021 के राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के आदेश सं 1333 (अ), जोकि विशेष सुविधाओं वाले पैक में रिंगर लैक्टेट इंजेक्शन के अनुसूचित फॉर्म्युलेशन पैक्स के अधिकतम मूल्य निर्धारण से संबंधित है, एतद द्वारा आदेश सं 1333 (अ), दिनांक 25 मार्च 2021 के तालिका, 'बी' में क्रमशः स्तंभ संख्या (1) और (2) में क्र. सं और विनिर्माताओं का नाम शामिल करके एतद्वारा निम्नलिखित विनिर्माताओं के लिये भी बढ़ा दिया गया है, जैसा कि नीचे दिया गया है:

क्र.सं	विनिर्माताओं का नाम
(1)	(2)
15.	मैसर्स रूसोमा लेबोरेटरीज प्रा०लिमिटेड (यूरोहेड बोटल ब्रांड नाम ड्यूड्रिप के साथ)

2. दिनांक 25 मार्च 2021 के का. आ. 1333 (अ) की तालिका क में क्र. सं. 2, 3 और 4 विनिर्दिष्ट अधिकतम कीमतें इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से उपरोक्त क्र. सं. 15 में विनिर्दिष्ट विनिर्माताओं के लिए लागू हैं।
3. मूल आदेश दिनांक 25 मार्च, 2021 के का. आ. 1333 (अ) में उल्लिखित सभी टिप्पणियां और अन्य विषय समान रहेंगे और लागू होंगे केवल टिप्पणी (क) और (ग) को छोड़कर, जो उपरोक्त क्र. सं. 15 में विनिर्दिष्ट विनिर्माताओं पर लागू नहीं होते हैं।

[पीएन/223/91/2021/एफ/फा. सं. 8(91)/2021/डी.पी./एनपीपीए-डी.वी.-II]

प्रसेनजीत दास, उप निदेशक

ADDENDUM ORDER

New Delhi, the 6th August, 2021

S.O. 3164(E).—The National Pharmaceutical Pricing Authority's Order No. 1333(E) dated 25th March 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, related to ceiling price fixation of Ringer lactate injection in pack having special features is hereby extended for following manufacturers with the insertion of the Sl. No. and Name of Manufacturers, specified in column no. (1) and (2) respectively in Table 'B' of S.O. No. 1333(E) dated 25th March 2021, as detailed below:

Sl. No.	Name of Manufacturer
(1)	(2)
15	M/s Rusoma Laboratories Pvt. Ltd. (Eurohead Bottles with Brand name "Dewdrip")

2. The ceiling prices specified in Sl. 2, 3 & 4 of Table A of S.O. 1333(E) dated 25th March 2021 are applicable to the manufacturers specified in Sl. No. 15 above from the date of publication of this Order.
3. All the notes and other contents mentioned in the original order S.O. 1333(E) dated 25th March, 2021 shall remain same and are applicable except that notes (a) and (c) are not applicable to the manufacturers specified in Sl. No. 15 above.

[PN/223/91/2021/F/F. No. 8(91)/2021/D.P./NPPA-Div.-II]

PRASENJIT DAS, Dy. Director